E-15-57599

स्वाति एस. भदौरिया
आई.ए.एस.
निदेशक

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
देहरादून

कुलपति सचिवालय 544 सं० दि० 05-12-23

कुलसचिव कार्यालय सं० 704 दि० 06/12/23

पत्रांक : 765 दिनांक : 01/12/2023

महोदय,

साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्यकारों की कालजयी रचनाएं जनमानस को इतिहास, धर्म–संस्कृति, भाषा–बोली, आचार–विचार, सामाजिक परिवेश से अवगत कराते हुए आमजन को निरन्तर उत्थान की ओर ले जाती हैं। इन अर्थों में साहित्यकार समाज को सही दिशा देने का कार्य करता है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान उत्तराखण्ड के साहित्यकारों की रचनाओं के संरक्षण और संवर्द्धन में निरन्तर प्रयासरत है, समाज के इन युग पुरोधाओं का सम्मान करना भाषा संस्थान का पुनीत कर्त्तव्य है। वर्तमान में इस कार्य में संलग्न विद्वानों को अग्रिम पंक्ति में लाकर प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाय, इस कार्य को परिणीत करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा "उत्तराखण्ड साहित्य गौरव पुरस्कार योजना" प्रारंभ की गयी है।

02– भाषा संस्थान द्वारा "उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना" के अंतर्गत वर्ष 2023 के पुरस्कारों के लिए उत्तराखण्ड के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों एवं प्रबुद्धजनों से आवेदन पत्र/संस्तुति पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.11.2023 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय, आप आजीवन लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षा–विद् एवं कुशल मार्गदर्शक रहे हैं, तथा वर्तमान में आपके विश्वविद्यालय में अनेक शिक्षकों, भाषाविदों द्वारा उत्कृष्ट साहित्य सृजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन साहित्यकारों को उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते का कष्ट करें।

सद्भाव सहित।

(स्वाति एस. भदौरिया)
निदेशक

कुलपति,

हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल।

Registrar
6.12.2023

06/12 DEO to circulate on website. DSW

461/1/1, चन्द्रलोक कॉलोनी, निकट गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष (कार्यालय) : 0135– 3511471, 7830005969 ई–मेल : directorbhashauk@gmail.com वेबसाइट: www.ukbhashasansthan.in

दैनिक जागरण
छठी मइया,
www.jagran.com
देहरादून, 17 नवंबर, 2023

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान–2023

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा व बोलियों में उत्कृष्ट साहित्य सृजन करने वाले राज्य के साहित्यकारों को उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत निम्न सम्मानों से सम्मानित करने के लिए साहित्यकारों/साहित्यिक संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र/संस्तुतियां आमंत्रित हैं–

पुरस्कार	विषय	पुरस्कार का नाम	विधा
उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	हिन्दी	महादेवी वर्मा पुरस्कार	महाकाव्य/खण्डकाव्य/काव्य रचना
		शैलेश मटियानी पुरस्कार	कथा साहित्य
		डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार	अन्य गद्य विधाऐं
साहित्यिक पत्र–पत्रिका लेखन पुरस्कार	पत्र/पत्रिकाएं	भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार	साहित्यिक मासिक/द्वैमासिक/त्रैमासिक पत्रिकाओं पर
उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान	हिन्दी	चन्द्रकुंवर बर्त्वाल	हिन्दी साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	कुमाउनी	गिरीश तिवारी गिर्दा पुरस्कार	कुमाउनी लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	गढ़वाली	हरिदत्त भट्ट शैलेष	गढ़वाली लोक साहित्य में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	अन्य भाषा/बोली	गौरा पन्त शिवानी	अन्य भाषा एवं बोली में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	हिन्दी साहित्य	सुमित्रा नन्दन पंत पुरस्कार	हिन्दी भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस भाषा की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	लोक भाषा/लोक साहित्य	गुमानी पंत पुरस्कार	कुमाउनी बोली, भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		भजन सिंह 'सिंह' पुरस्कार	गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
		गोविन्द चातक पुरस्कार	अन्य उत्तराखण्ड की बोलीयों एवं उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इस बोली की साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	उर्दू	प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार	उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत उर्दू साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।
	पंजाबी	अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार	पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत पंजाबी साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा।

01. उपरोक्त पुरस्कार राज्य स्तरीय होंगे। केवल उत्तराखण्ड के साहित्यकार उक्त पुरस्कार के लिए योग्य होंगे, इस हेतु उन्हें उत्तराखण्ड में जन्म का अथवा उत्तराखण्ड में 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
02. उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान के लिए अधिकतम 35 वर्ष आयु वर्ग के साहित्यकार, लेखक, कवि, रचनाकार योग्य होंगे।
03. मौलिक/प्रकाशित/पुस्तकाकार रचना ही पुरस्कार के योग्य मानी जायेगी। अनुवादित कृति (अनुवादित साहित्य विधा को छोड़कर) तथा विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया ग्रन्थ/प्रबन्ध या शोध कार्य पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा।
04. मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार प्रविष्टि के लिए प्रत्येक पुस्तक की 04 प्रतियाँ तथा पत्रिका विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित सभी अंकों की 4–4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
05. उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति, मौलिक पुस्तक लेखन के लिये उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। उदाहरण– वर्ष 2023 के पुरस्कार चयन के लिये जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
06. नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान के लिए सर्वोत्कृष्ट पुस्तक संस्थान को प्रेषित करनी होंगी, प्रत्येक पुस्तक की 4–4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
07. दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रविष्टि के लिए लेखक को अपनी सर्वोत्कृष्ट तीन पुस्तकें संस्थान को प्रेषित करनी होंगी, प्रत्येक पुस्तक की 4–4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
08. दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार के लिए निर्धारित संस्तुति प्रपत्र के साथ संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित होना आवश्यक है तथा जिसके नाम की संस्तुति की जा रही है, उसका जीवनवृत्त प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी।
09. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों/संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. ऐसी कृति, जिसे पहले उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, या उत्तराखण्ड भाषा संस्थान से दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, पुरस्कार योग्य नहीं माना जायेगा।
11. भाषा संस्थान के वर्तमान अधिकारी, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति तथा पुरस्कार समिति के वर्तमान सदस्य पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
12. पुरस्कार के लिये चयनित पुस्तक के संबंध में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी/कानूनी प्रकरण सामने आने पर संबंधित लेखक/रचनाकार जिम्मेदार होगा।
13. विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए।
14. किसी एक लेखक को एक विधा में केवल एक बार पुरस्कृत किया जायेगा।
15. किसी एक पत्रिका को एक बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा।
16. पुरस्कार योजना में प्राप्त पुस्तकें/पत्रिकाएं वापस नहीं की जायेंगी। पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक के पाठ्य भाग की पृष्ठ संख्या कम से कम 60 होनी अनिवार्य है।
17. उक्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार की अन्य किसी कृति एवं नाम पर अगले 03 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।
18. प्रत्येक विधा/विषय में उपयुक्त प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने पर पुरस्कार देने की बाध्यता नहीं होगी।
19. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।
20. पुरस्तकों पर देय पुरस्कारों में समान अंक होने पर जिस लेखक की आयु अधिक है, उसका चयन किया जायेगा।
21. यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति/पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।
22. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।
23. पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जायेगा।
24. संस्थान को उक्त सम्मान योजना के आवेदन पत्र प्राप्त होने, चयन–प्रक्रिया या सम्मान घोषित होने, या सम्पूर्ण पुरस्कार योजना को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. चयन समिति एवं संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

उपरोक्त सम्मानों हेतु संस्तुतियाँ एवं पुस्तक/प्रविष्टि सहित पुस्तकें पुरस्कार संबंधी शीर्षक से निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461/1/1, चन्द्रलोक कालोनी राजपुर रोड, देहरादून को दिनांक–20.12.2023 तक भेजी जानी आवश्यक है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन/संस्तुति पत्र संस्थान की वेबसाईट– www.ukbhashasansthan.in से डाउनलोड की जा सकती है, अधिक जानकारी संस्थान के दूरभाष 7830005969 या किसी भी कार्यदिवस में संस्थान कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

स्वाति एस. भदौरिया, आई.ए.एस.
निदेशक